प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 09 मई, 2017**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रशासनिक फण्ड मद में भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 10,31,00,000.00 तथा उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 6,87,33,000.00 अर्थात् कुल रू0 17,18,33,000.00 की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत लेखानुदान से अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-118/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2017-18, दिनांक-10.04.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत प्रशासनिक फण्ड मद में द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17024/26/2006-आर0सी0 (पार्ट) (भाग-1) (एफ0टी0एस0नं0-339266), दिनांक-24.03.2017 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश रू0 10,31,00,000.00 (रूपये दस करोड़ इक्तीस लाख मात्र) तथा उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश रू0 6,87,33,000.00 (रूपये छः करोड़ सत्तासी लाख तैंतीस हजार मात्र) अर्थात् **कुल (10,31,00,000.00+6,87,33,000.00=17,18,33,000.00) रू0 17,18,33,000.00 (रूपये सत्रह करोड़ अठ्ठारह लाख तैंतीस हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अन्नतिम रूप से प्राविधानित धनराशि रू0 198874.00 लाख के सापेक्ष प्रथम 05 माह हेतु स्वीकृत लेखानुदान रू0 82864.17 लाख में से आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुये किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(4)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन, स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के नाम से स्टैट बैंक, जवाहर भवन लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10616665816 में तत्काल जमा किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2017/पी-253(1)/अट्तीस-9-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधानमहालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली।
4- श्री प्रिय रंजन, निदेशक (आर0सी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं0- 369, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
5- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/7
10- गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।